न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :– श्री कपिल कुमार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या	जीसीएमएस संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2022	2022/242	21.11.2022	29.07.2025

उनवान

दिनेशसिंह पुत्र रामशरणसिंह तंवर जाति राजपूत निवासी ग्राम तालवा तहसील पावटा जिला जयपुर हाल आबाद 113, गोपालन नगर खातीपुरा, जयपुर, राजस्थान।

अपीलान्ट

बनाम

1 सरपंच ग्राम पंचायत दांतिल पंचायत समिति पावटा तहसील पावटा, जिला जयपुर, राजस्थान

2 तहसीलदार पावटा, तहसील पावटा जिला जयपुर, राजस्थान **रेस्पोडेन्टगण**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम तालवा तस्दीक द्वारा ग्राम पंचात दांतिल तहसील पावटा

निर्णय दिनांक 29.07.2025

1. अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत अपील संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि आराजी हाल खसरा नम्बर 512/0.11, 353/0.45, 354/0.35, 360/0.06, 361/0.41, 391/0.51, 392/0.14, 393/0.05, 396/0.11, 436/0.10, 437/0.11, 480/0.77, 483/0.39, 487/0.47, 488/0.13, 508/2399/0.47, 516/0.47, 517/0.39, 532/0.62, 533/0.62, 534/0.62, 541/0.05, 552/0.07, 356/0.04, 57/0.06, 75/0.07, 352/0.27, 435/1.03, 540/0.47, 554/0.84 वाके मौजा तालवा, तहसील पावटा, के खातेदार काश्तकार मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी रामशरणसिंह पुत्र जम्मनसिंह थे उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान उनके लडके अपीलान्ट दिनेशसिंह व भंवरसिंह, लक्ष्मणसिंह, श्रवणसिंह, राजेंन्द्रसिंह पुत्रान रामशरणसिंह बतौर खातेदार काश्तकार काबिज हुये परन्तु नामान्तकरण दर्ज किये जाते समय अपीलान्ट का नाम दिनेशसिंह के बजाय दशरथसिंह अंकित कर दिया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिगर कार्य हेतू पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने पर हुयी जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये उपरोक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील मय दफा 05 मियाद अधिनियम निम्न भांति प्रस्तुत की है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामान्तकरण त्रुटीपूर्ण होने के कारण दुरूस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त नामान्तकरण दर्ज किये जाते समय अपीलान्अ बाहर रहते थे तथा अपीलान्ट की अनुपस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा त्रुटीवश अपीलान्ट का नाम दिनेशसिंह के बजाय दशरथसिंह अंकित कर दिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है।

2. उपरोक्त नामान्तकरण बिना अपीलान्ट को सूचित किये व बिना सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये दर्ज कर तस्दीक किया गा है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को कतई संभव नही थी अपीलान्ट को गत सप्ताह दिगर कार्य हेतू पटवारी हल्का के पास जमाबन्दी की नकल लेने पर हुयी जिस पर अपीलान्ट ने बिना देरी किये उपरोक्त नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर श्रीमान के समक्ष अपील मय दफा 05 प्रस्तत की है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपील सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हांसिल है। अपील उचित कोर्ट फीस पर पेश है। अपील के अन्य तथ्य वरवक्त बहस अर्ज किये जायेगे।

4. अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलान्ट अपील स्वीकार की जानकर नामान्तकरण संख्या 51 ग्राम तालवा तहसील पावटा में दुरूस्ती की जाकर अपीलान्ट का नाम दशरथसिंह पुत्र रामशरणसिंह के स्थान पर दिनेशसिंह पुत्र रामशरणसिंह दुरूस्त किया जावे तथा उसी अनुसार ही आराजी हाल खसरा नम्बर 512/0.11, 353/0.45, 354/0.35, 360/0.06, 361/0.41, 391/0.51, 392/0.14, 393/0.05, 396/0.11, 436/0.10, 437/0.11, 480/0.77, 483/0.39, 487/0.47, 488/0.13, 508/2399/0.47, 516/0.47, 517/0.39, 532/0.62, 533/0.62, 534/0.62, 541/0.05, 552/0.07, 356/0.04, 57/0.06, 75/0.07, 352/0.27, 435/1.03 वाके मोजा तालवा तहसील पावटा के हाल राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दशरथसिंह के बजाय दिनेशसिंह दुरूस्त किये जाने के आदेश प्रदान करे।

5. अपीलान्ट के द्वारा अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता ली जाकर अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्टगण को जरिये नोटिस सूचित कर रजिस्टर्ड डाक से तामिल करवायी गयी तथा दिनांक 19.06.2024 रेस्पोडेण्ट सं. 01 की रजिस्टर्ड डाक से तामिल होने के बावजूद अनुस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेण्ट सं. 02 पैरोकार सरकार तहसीलदार पावटा से जवाब तल्ब किया गया जो शामिल पत्रावली किया। परोकार सरकार से प्राप्त जवाब निम्नानुसार है कि जिम्मन नम्बर 01 में यह है कि प्रश्नगत खसरा नम्बरान के खातेदार रामशरण सिंह पुत्र जम्मन सिंह जाति राजपूत दर्ज राजस्व रिकार्ड थे जिनकी विरासत नामान्तकरण सं. 51 मौजा तालवा के द्वारा राजस्व रिकार्ड में उनके वारिसान भंवरसिंह लक्ष्मणसिंह श्रवणसिंह दशरथसिंह राजेन्द्रसिंह पिता रामशरणसिंह जाति राजपूत के नाम दर्ज हुई है। नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम दशरथसिंह दर्ज है। ये राजस्व रिकार्ड के तथ्य है जो स्वीकार है। अपीलान्ट अपना नाम दशरथसिंह के स्थान पर दिनेशसिंह दर्ज करवाना चाहता है जो दस्तावेजी साक्ष्य सबूत प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अनुतोष प्राप्त कर सकता है प्रार्थी उक्त तथ्य स्वयं सिद्ध करे। शेष जिम्मन कानूनी है। अपीलान्ट वकील ने बयान शपथ लक्ष्मणसिंह, राजेन्द्रसिंह , श्रवणसिंह, शक्ति कंवर के शपथपत्र तथा ग्राम पंचायत दांतिल के प्रशासक द्वारा दिनेश सिंह तंवर उर्फ दशरथसिंह तवंर का पहचान प्रमाण पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण में वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट ने अपील को स्वीकार कर उक्त वर्णित खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम दशरथसिंह के बजाय दिनेशसिंह दुरूस्त किये जाने हेतू निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में पाया गया कि नामान्तकरण संख्या 51 मौजा तालवा, तस्दीक ग्राम पंचायत दांतिल को स्वीकार फरमाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 512/0.11, 353/0.45, 354/0.35, 360/0.06, 361/0.41, 391/ 0.51, 392/0.14, 393/0.05, 396/0.11, 436/0.10, 437/0.11, 480/ 0.77, 483/0.39, 487/0.47, 488/0.13, 508/2399/0.47, 516/0.47, 517/0.39, 532/0.62, 533/0.62, 534/0.62, 541/0.05, 552/0.07, 356/0.04, 57/0.06, 75/0.07, 352/0.27, 435/1.03 वाके मोजा तालवा तहसील पावटा के राजस्व रिकार्ड अपीलान्ट का नाम दशरथसिंह पुत्र रामशरणसिंह दर्ज किया गया। जबकि अपीलान्ट के द्वारा पेश दस्तावेजात में अपीलान्ट का नाम दिनेशसिंह अंकित है तथा ग्राम पंचायत दांतिल द्वारा जारी पहचान प्रमाण पत्र अनुसार अपीलान्ट का नाम दिनेश सिंह तंवर उर्फ दशरथ सिंह तवंर है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर तहसीलदार पावटा को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत होता है।

7. अतः अपीलान्ट की अपील मय दफा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार की जाती है कि अपील विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत दांतिल के ग्राम तालवा के नामान्तकरण संख्या 51 को रिमाण्ड किया जाकर तहसीलदार पावटा को आदेशित किया जाता है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 512/0.11, 353/0.45, 354/0.35, 360/0.06, 361/0.41, 391/0.51, 392/0.14, 393/0.05, 396/0.11, 436/0.10, 437/0.11, 480/0.77, 483/0.39, 487/0.47, 488/0.13, 508/2399/0.47, 516/0.47, 517/0.39, 532/0.62, 533/0.62, 534/0.62, 541/0.05, 552/0.07, 356/0.04, 57/0.06, 75/0.07, 352/0.27, 435/1.03 वाके मोजा तालवा तहसील पावटा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपीलान्ट के नाम दशरथसिंह पुत्र रामशरण की जांच कर विधि अनुसार सही नाम का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर नामान्तकरण की कार्यवाही करवावे। तदानुसार आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(कपिल कुमार, **RAS**)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)